

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 18.12.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना महुली पुलिस द्वारा** वारण्टी नाम पता दिनेश पुत्र मिठाईलाल साकिन चोलखरी थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह, हे0का0 श्रीकान्त यादव।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6884 द्वारा दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल - पीआरवी 6884 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत गौनरिया चौराहा से कालर द्वारा दो बाईक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.राजन गुप्ता पुत्र जगदम्बा प्रसाद सा0 सांथा थाना बेलहरकला जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 में हटाकर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 में हटाकर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ - का0 प्रवेश कुमार मौर्या, का0 मयंक शेखर राय, हो0चा0 दुर्गा प्रसाद तिवारी।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- ❖ ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 170/126/135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 133 वाहनों से 1,37,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 133 वाहनों से 1,37,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर** द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 03-03 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

उक्त प्रकरण में वादिनी मुकदमा श्रीमती इसरावती पत्नी रामउजागिर निवासिनी डिहुलिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर बावत अभियुक्तगण 01.बिन्द्रा उर्फ वीरेन्द्र पुत्र सुरेश केवट 02. उदयभान केवट पुत्र हरिहर निवासीगण डिहुलिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचक एच0सी0पी0 दानबहादुर पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

एन0सी0आर0 नं0 45/2004 धारा 323/504/506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध(जुर्मस्वीकारोक्ति) के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 03-03 हजार रु0 (कुल 7000 रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गाली गलौज व मड़हा उजाड़ देने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 5000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनक्वशन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर** द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र हंसू निवासी बेलहरकला थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर बावत अभियुक्त सुभाष राय पुत्र वशिष्ठ निवासी कड़जा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध वादी के साथ गाली गलौज करने व मड़हा उजाड़ देने तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचक उ0नि0 श्री रामआशीष यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

एन0सी0आर0 नं0 41/2003 धारा 427/504/506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 427/504/506 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध(जुर्मस्वीकारोक्ति) के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 05 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 3000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 18.09.2025 को ***माननीय न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर** द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 03 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा श्री हरेन्द्र प्रसाद पुत्र रामलखन निवासी कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर बावत अभियुक्त बलिराम पुत्र देवीलाल निवासी कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचक उ0नि0 श्री विनय कुमार पाठक द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

एन0सी0आर0 नं0 93/2003 धारा 323/504/506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 323/504/506 भादवि के अपराध में दोषसिद्ध(जुर्मस्वीकारोक्ति) के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 03 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01-01 माह का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

“ऑपरेशन कनक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गोवध अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व न्यायालय उठने तक का कारावास तथा कुल 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 18.12.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा गोवध अधिनियम के मामलों में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरण:-

दिनांक 26.01.2005 को अभियुक्त मेराज पुत्र बल्लन निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को सालेहपुर के पास से 115 अदद गोवंशीय पशुओं की खाल व 23 टीन में करीब 3.5 कुंतल गोवंशीय पशुओं की चर्बी के साथ गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 31/2005 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, जिसमें विवेचक एच0सी0पी0 श्री गोविन्द जी पाण्डेय द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरण:-

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त को जुर्मस्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलों में जेल में बिताई गयी अवधि व न्यायालय उठने तक का कारावास तथा 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 495/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)द,3(1)ध,3(2)(V), 3(2)(Va) SC/ST एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अर्जुन सैनी पुत्र झीनक सैनी ग्राम अठलोहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 19.12.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 17.12.2025 को थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था । थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 19.12.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- वरिष्ठ उ0नि0 राजेश कुमार, हे0का0 उमेश यादव, हे0का0 सर्वजीत यादव ।